सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 27, मंगलवार, *शाके* 1947- जून 17, 2025

Jyaistha 27, Tuesday, Saka 1947- June 17, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 09, 2025

संख्या:16/भू.अ./ज.स./2025/930-934:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, चित्तौड़गढ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ होगे।

विवरण

निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना ग्राम पंचायत निम्बोदा तहसील निम्बाहैडा जिला चित्तौडगढ की भूमि के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव तहसील निम्बाहैडा

क्र. स.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम
1	निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना	निम्बोदा	निम्बोदा	निम्बाहैडा	चित्तौडगढ	भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी निम्बाहैडा

फार्म –2

(देखे–नियम -5)

पार्ट–बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगेः-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तौडगढ
	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधिन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना ग्राम पंचायत निम्बोदा तहसील निम्बाहैडा जिला चित्तौडगढ की भूमि के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्वेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श, (ii) सर्वेक्षण, (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दे।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और / या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना मे इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागु नही है।
(घ)	समाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और समाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड़)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हॉ
(च)	समाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धि जानकारी।	श्री राजकुमार शर्मा कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, चित्तौडगढ

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।